



पतंजलि विश्वविद्यालय University of Patanjali

उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) :

UOP/2017/1316

1.2.2b

दिनांक (Date) :

13.07.2017

परम श्रद्धेय आचार्यश्री
कुलपति,
पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

विषय: अखिल-भारतीय-शास्त्रीय-कण्ठपाठ स्पर्धा में विजेता प्रतिभागियों को पारितोषिक स्वरूप राशि प्रदान करने हेतु।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि परमपूज्य स्वामी जी महाराज एवं आपश्री की प्रेरणा व आशीर्वाद से 01, 02 एवं 03 अगस्त 2017 को अखिल-भारतीय-शास्त्रीय-कण्ठपाठ स्पर्धा होने जा रही है। जिसमें छः शास्त्रों की कण्ठपाठ स्पर्धा है। उन छः शास्त्रों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों की पारितोषिक राशि भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आप श्री के द्वारा निर्धारित की गई थी।

अतः आप से विनम्र निवेदन है कि उस राशि को प्रदान कराने की कृपा करें। पारितोषिक राशि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय
कुल पारितोषिक राशि रु 3,00,000/-
(तीन लाख मात्र) स्वीकृत करें। (कृपा करें)

भवदीया/भवदीय

Dr. V. Kulwant
Pro- Vice- Chancellor
University of Patanjali, Haridwar

डा. साधना/डा. विपिन

डा. साधना/डा. विपिन कुमार द्विवेदी

कार्यक्रम संयोजिका/सह-संयोजक

(संस्कृत विभाग)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार